भारत सरकार

अंतरिक्ष विभाग (अं.वि.)

बेंगलूरु

संदर्भ: अं.वि./एस.सी.एन.पी./आई.सी.आर./2016/01 22 अप्रैल, 2016

विषय: **इन्सैट/जीसैट क्षमता आरक्षण हेतु दिशा-निर्देश के बारे में।**

निम्नलिखित दिशा-निर्देशों, जिन्हें ''आगे से 'इन्सैट/जीसैट क्षमता आरक्षण' हेतु दिशा-निर्देश'' कहा जाएगा का, अंतरिक्ष खण्ड क्षमता के आबंटन की मांग करने वाले अंतरिक्ष खण्ड (प्रयोक्ता) के मौजूदा/संभावित प्रयोक्ताओं द्वारा अनुपालन किया जाएगा:

1) नई क्षमता या अतिरिक्त क्षमता के आबंटन की मांग करने वाले प्रयोक्ताओं को परिशिष्ट-1 के अनुसार निर्दिष्ट ''इन्सैट/जीसैट क्षमता आरक्षण प्रारुप (आई.सी.आर.एफ.)'' में ही अपने आवेदन प्रस्तुत करने होंगे। पूर्ण ब्यौरे सहित हस्ताक्षरित आवेदन निदेशक, उपग्रह संचार एवं नौवहन कार्यक्रम कार्यालय, इसरो मुख्यालय, न्यू बी.ई.एल. रोड, बेंगलूरु- 560 231 को भेजा जाए।

2) प्रयोक्ता न्यूनतम 36 मे.ह. या उसके गुणांकों की क्षमता के पंजीकरण की मांग कर सकते हैं।

3) ब्याज-मुक्त, प्रतिदेय आरक्षण जमा, जिसे आगे से ''इन्सैट/जीसैट क्षमता आरक्षण जमा'' (आई.सी.आर.डी.) कहा जाएगा, के, पंजीकरण हेतु आई.सी.आर.एफ. के साथ भुगतान किया जाना चाहिए। आई.सी.आर.डी. आरक्षित करने हेतु आवेदन की गई क्षमता के समानुपातिक होगी और यह प्रेषानुकर क्षमता के प्रति मे.ह. के लिए रु. 50,000 निर्धारित है।

4) भारत सरकार के विभागों को अपनी उपग्रह क्षमता की आवश्यकताएं पंजीकृत कराते समय आई.सी.आर.डी. भुगतान से छूट प्राप्त है तथापि, उन्हें आई.सी.आर.एफ. जमा करना होगा।

5) आई.सी.आर.डी. का हस्तांतरण, लेखा अधिकारी, एंट्रिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड (ई-मेल: antrixaccounts@antrix.gov.in) को सूचित करते हुए ऑनलाइन / एन.ई.एफ.टी./ आर.टी.जी.एस./ सीधे बैंक खाते में जमा के माध्यम से ''एंट्रिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड'' चालू खाता सं. 10502677013, भारतीय स्टेट बैंक, डालर कॉलोनी शाखा, सं. 61, ए.जी. ऑफिस लेआउट, न्यू बी.ई.एल., रोड, आर.एम.वी. II स्टेज, बेंगलूरु-560 054 (आर.टी.जी.एस. कोड SBIN0009042, एम.आई.सी.आर. कोड, 560002063 को किया जाएगा। चेक, ड्राफ्ट या नकद भुगतान स्वीकार नहीं किया जाएगा।

6) प्रयोक्ता को प्रत्येक प्रकार की सेवा (डी.एस.एन.जी., वीसैट, टी.वी., डी.टी.एच. या अन्य सेवा) और प्रत्येक प्रकार के आवृत्ति बैंड (एस., सी., विस्तारित सी. के.यू. या के.ए. आदि) और प्रत्येक कक्षीय स्लॉट हेतु अंतरिक्ष खण्ड क्षमता के आरक्षण के लिए अलग-अलग आवेदन जमा करने होंगे।

7) प्रत्येक आवेदन को विशिष्ट ''इन्सैट/जीसैट क्षमता आरक्षण प्रतीक्षा-सूची'' (आई.सी.आर.डब्ल्यू.एल.) संख्या दी जाएगी, जिसे प्रयोक्ता को सूचित किया जाएगा। निर्दिष्ट आई.सी.आर.डी. की प्राप्ति का दिनांक या आई.सी.आर.एफ. प्राप्ति का दिनांक, जो भी बाद में हो, को, आवेदन जमा करने की तिथि के रुप में माना जाएगा।

8) प्रयोक्ता द्वारा अनुरोध के अनुसार क्षमता के आबंटन के पश्चात् प्रयोक्ता का आरक्षण आई.सी.आर.डब्ल्यू.एल. से हटा दिया जाएगा और प्रथम अंतरिक्ष खण्ड प्रभार की प्राप्ति पर प्रयोक्ता को आई.सी.आर.डी. वापस कर दी जाएगी।

9) आंशिक आबंटन के मामले में, आई.सी.आर.डब्ल्यू.एल. में प्रयोक्ता की आरक्षण क्षमता को आबंटित क्षमता तक घटा दिया जाएगा और आबंटित क्षमता हेतु प्रथम अंतरिक्ष खण्ड प्रभार की प्राप्ति पर अनुपातिक आई.सी.आर.डी. प्रयोक्ता को वापस कर दी जाएगी।

10) यदि आई.सी.आर.एफ. में आवश्यकता के अनुसार प्रयोक्ता को क्षमता प्रदान की जाती है और प्रयोक्ता तकनीकी रुप से ऐसे उपयुक्त प्रस्ताव को ठुकरा देता है तो आई.सी.आर.डी. जब्त कर ली जाएगी और आई.सी.आर.एफ. में प्रयोक्ता का पंजीकरण निरस्त हो जाएगा।

11) अंतरिक्ष खण्ड क्षमता की तकनीकी उपयुक्तता से संबंधित मामलों पर अं.वि. का निर्णय अंतिम होगा और प्रयोक्ता के लिए बाह्य होगा।

12) प्रयोक्ता किसी भी समय, परंतु प्रस्ताव पत्र जारी होने से पूर्व, उनके द्वारा पहले से जमा की गई आई.सी.आर.एफ. के संशोधनों हेतु अनुरोध कर सकते हैं। संशोधनों के अनुरोध निम्न रुप से माने जाएंगे।

   क. आवृत्ति बैंड, कक्षीय स्थिति, आदि में परिवर्तन - प्रयोक्ता को नया आवेदन करना होगा और पुराना आवेदन वापस लेना होगा। आई.सी.आर.डी. रख ली जाएगी और कतार के अंत में नई आई.सी.आर.डब्ल्यू.एल. संख्या जारी की जाएगी।

ख. पंजीकृत क्षमता में कमी: आई.सी.आर.डब्ल्यू.एल. में प्रयोक्ता की प्राथमिकता परिवर्तित नहीं की जाएगी और समानुपातिक आई.सी.आर.डी. वापस कर दी जाएगी।

ग. पंजीकृत क्षमता में बढ़ोत्तरी - प्रयोक्ता को अतिरिक्त क्षमता के लिए नए सिरे से आवेदन देना होगा। मूल अंतरिक्ष खंड क्षमता के लिए मौजूदा पंजीकरण वैध रहेगा।

घ. आरक्षण को रद्द करना - प्रयोक्ता कभी भी, परंतु प्रस्ताव पत्र के जारी होने से पहले अपना पंजीकरण वापस ले सकते हैं। आई.सी.आर.डी. को वापस कर दिया जाएगा।

13) किसी भी कारण से आई.सी.आर.डी. की वापसी (आंशिक अथवा पूर्ण) एंट्रिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा आवेदक द्वारा प्रदान किए गए बैंक ब्यौरे के आधार पर मात्र ऑनलाइन/ एन.ई.एफ.टी./आर.टी.जी.एस./ सीधे बैंक जमा के माध्यम से अंतरित किया जाएगा। इस उद्देश्य के लिए कोई भी चेक या ड्राफ्ट न दिया जाए।

14) पंजीकृत प्रयोक्ताओं से अंतरिक्ष खंड क्षमता की आवश्यकता पर नियत कर्मठता/ संवीक्षा की प्रक्रिया के आधार पर विचार किया जाएगा।

15) इन दिशा-निर्देशों के लागू होने के दिनांक के पहले की गई सभी क्षमता आरक्षण तत्काल प्रभाव से रद्द हो जाएगी। तथापि, एक बार के उपाय के रुप में, जिन प्रयोक्ताओं ने आई.सी.आर.एफ. में पहले ही पंजीकरण करवा लिया है, उनके पास 30 दिनों के भीतर आई.सी.आर.डी. सहित संशोधित आई.सी.आर.एफ. की प्रस्तुति पर आधारित मौजूदा प्राथमिकता को रखने का विकल्प होगा।

16) क) यदि प्रयोक्ताओं का अंतरिक्ष खंड क्षमता के लिए भुगतान करने में चूक का रिकार्ड है;

ख) प्रयोक्ता का नाम ब्लैक लिस्ट में है; अथवा

ग) प्रयोक्ता को एंट्रिक्स/अं.वि. द्वारा दंड कार्रवाई पर कोई नोटिस दिया गया है, तो ऐसे में

अं.वि. के पास किसी भी नए अथवा मौजूदा आई.सी.आर.एफ. को रद्द करने का तथा आई.सी.आर.डब्ल्यू.एल. में प्रयोक्ताओं को क्षमता को आबंटित नहीं करने का अधिकार है।

17) इन दिशा-निर्देशों के लागू होने का दिनांक 22 अप्रैल, 2016 होगा।

18) अं.वि. के पास इन दिशा-निर्देशों में संशोधन करने का अधिकार है।

19) किसी भी विवाद के मामले में उस मामले को सचिव, अं.वि. के पास भेजा जाएगा, जिनका निर्णय अंतिम तथा बाध्य होगा।

*****